



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 02 जुलाई, 2020 / 11 आषाढ़, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला—171002, 11 मई, 2020

संख्या: 1-58/69-फिन(एल0ए0)-1411.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: 1-58/69-फिन (एल0ए0) पार्ट (1), दिनांक 04 मार्च, 2009 द्वारा अधिसूचित तथा समसंख्यक अधिसूचना

संख्या दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 व दिनांक 09 जनवरी, 2018 द्वारा संशोधित, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उप-निदेशक/उप-नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उप-निदेशक/उप-नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध “क” के स्तम्भ 2 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उप निदेशक/उप-नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 के उपाबन्ध “क” में :-

स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

“8 (आठ)”

आदेश द्वारा,
हस्ता / -
प्रधान सचिव (वित्त)।

[Authoritative English text of this Notification No. 1-58/69-Fin(LA) dated 11-5-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, 11th May, 2020

Endst. No. 1-58/69-Fin(LA),-1411.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, State Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 notified *vide* this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA)Part(1), dated 04-03-2009 and further amended *vide* this Department Notifications of even number, dated 30-12-2016 and 09-01-2018, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta, Himachal Pradesh.

2. Amendment of the column 2 of Annexure-“A”.—In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh State Audit Department, Deputy Director/Deputy Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2009 :

For the existing provisions against column No. 2, the following shall be substituted, namely:—

“8 (Eight)”

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 जून, 2020

संख्या गृह(ए)ए(1)45/2019.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 11 की उप-धारा (1) के साथ पठित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्या (3) में यथावर्णित गांवों को स्तम्भ संख्या (4) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्या (5) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में अन्तरित करते हैं, अर्थात:-

अनुसूची

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अंतर्विलत गांवों के नाम	पुलिस थाना जिससे, इस अधिसूचना द्वारा अन्तरित किए गए हैं	पुलिस थाना जिसमें इसके पश्चात् सम्मिलित किए गए हैं
1	2	3	4	5
1.	बाडथल मधाना	1. सहा 2. मधाना 3. जंगलोट 4. बाडथल	पुलिस थाना माजरा	पुलिस थाना रेणुका जी
2.	काण्डो कांसर	1. स्वाड़ा नडासी 2. मन्धारा 3. काण्डो फागड़ 4. कटवाड़ी बागड़ 5. तनलोग 6. चियामम्याणा 7. मेहत 8. कांसर 9. सल्टेवानी 10. बागना कोटड़ी 11. बायला	—यथोपरि—	—यथोपरि—

3.	भरोग बनेडी	1. भरोग बनेडी 2. पुन्दली 3. बकाहन 4. केलेवाला 5. समौण 6. कनौण 7. खैर	—यथोपरि—	—यथोपरि—
4.	भनेत हल्दवाड़ी	8. कुडला खरक 9. कण्डोला 10. ठाकर कुज्जेवाला 11. भनेत 12. ठाकर गवाणा	—यथोपरि—	—यथोपरि—
5.	थाना कसोगा	1. चम्बा शील 2. धगेड़ा 3. डन्डोर 4. डेबरी टिक्करी 5. धायली 6. खुड बालाहार 7. लुहली 8. स्तर भादों 9. थाना कसोगा	पुलिस थाना सदर नाहन	—यथोपरि—
6.	बिरला	1. बिरला 2. दभुडी टिक्कर 3. डाबरीया 4. ठण्डोली 5. तिरमली दयाड़	—यथोपरि—	—यथोपरि—

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home (A) A (1)45/2019, dated 9-6-2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

Shimla-2, the 9th June, 2020

NOTIFICATION

Home (A) A (1)45/2019.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of Section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Director General of Police, Himachal Pradesh, is pleased to transfer the villages as enumerated in Column No.(3) from the local area of the Police Station mentioned in column (4) to the local area of the Police Station mentioned in column (5) of THE SCHEDULE given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2	Police Station from which transferred by this Notification	Police Station in which hereinafter included
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Barthal Madhana	1. Saha 2. Madhana 3. Janglot 4. Barthal	Police Station Majra	Police Station Renuka Ji
2.	Kando Kansar	1. Swara Nadasi 2. Mandhara 3. Kando Fagar 4. Katwadi Bagrat 5. Tanlog 6. Chiyamanyana 7. Mehat 8. Kansar	-do-	-do-

		9. Saltewani 10. Bagna Kotri 11. Bayla		
3.	Bharog Baneri	1. Bharog Baneri 2. Pundli 3. Bakahan 4. Kelewala 5. Samaum 6. Kanaun 7. Khair	-do-	-do-
4.	Bhanet Haldwadi	1. Kudla Kharak 2. Kandola 3. Thakar 4. Kujjewala 5. Bhanet 6. Thakar Gawana	-do-	-do-
5.	Thana Kasoga	1. Chamba Shil 2. Daghera 3. Dandor 4. Debri Tikri 5. Dhaili 6. Khud Balahar 7. Luhli 8. Sattar Bhaddon 9. Thana Kasoga	Police Station Sadar Nahan	-do-
6.	Birla	1. Birla 2. Dabhuri Tikkar 3. Dabariya	-do-	-do-

		4. Thandoli		
		5. Tirmali Diyar		

By order,

Sd/-

Addl. Chief Secretary (Home).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जून, 2020

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-1/2020.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	महाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	1/2017	मन्यून	धार	899, 909, 917/1 किता. . 3	23-36-29	उत्तर : डी0 पी0 एफ0 मझेलिया दक्षिण : धार पूर्व : डी0पी0एफ0 देवठी एवं चिला पश्चिम : धार	बलसन (देहा)	टियोग	शिमला

आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)- 1/2020, dated 4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th June, 2020

No. FFE-B-F(14)-1/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal	Khasra number(s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1	1/2017	Manyun	Dhar	899 , 909, 917/1 Kitta . . 3	23-36-29	North : DPF Majheliya South : Dhar, East : DPF Devathi, Chilla West : Dhar	Balsan (Deha)	Theog	Shimla

By order,

SANJAY GUPTA ,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जून, 2020

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-2/2020.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के

स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	महाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	2/2017	दसाना-द्वितीय	दसाना	593, 630, किता. . 2	7-36-54	उत्तर : कुफर, जाहरू दक्षिण : दसाना पूर्व : दसाना पश्चिम : दसाना	बलसन (देहा)	ठियोग	शिमला

आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-2/2020, dated 4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th June, 2020

No. FFE-B-F(14)-2/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of

Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal	Khasra number(s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1	2/2017	Dasana-II	Dasana	593, 630, Kitta . . 2	7-36-54	North : Kufer, Jaharu South : Dasana, East : Dasana West : Dasana	Balsan (Deha)	Theog	Shimla

By order,

SANJAY GUPTA ,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जून, 2020

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-3 / 2020.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	महाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं महाल/उप-महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	3/2017	शिरगुली	शिरगुली	399, 400, 402, 403, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 420,	50-88-19	उत्तर : दोचाह दक्षिण : खगना	बलसन (देहा)	ठियोग	शिमला

				438, 442, 443, 444, 457, 459, 462, 463, 467, 469, 782, 865, 866, 867, 869, 970, किता. . 28		पूर्व : दोचाह एवं खगना पश्चिम : कढारन			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-3/2020, dated 4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th June, 2020

No. FFE-B-F(14)-3/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal	Khasra number(s)	Area in hectare(s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1	3/2017	Shirguli	Shirguli	399, 400, 402, 403, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 438, 442, 443, 444, 457, 459, 462, 463, 467, 469, 782, 865, 866, 867, 869, 870. Kitta . . 28	50-88-19	North : Dochah South : Khagana East : Dochah, Khagana West : Kadharan	Balsan (Deha)	Theog	Shimla

By order,

SANJAY GUPTA ,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जून, 2020

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-4 / 2020.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	महाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं महाल / उप-महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	4 / 2017	बलधार—द्वितीय	बलधार	523, 524, 567, 574, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 619, 621, 622. किता. . 16	28—85—81	उत्तर : बलधार दक्षिण : करगोली पूर्व : कटयाणा—प्रथम पश्चिम : बलधार	बलसन (देहा)	ठियोग	शिमला

आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-4/2020, dated 4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th June, 2020

No. FFE-B-F(14)-4/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the

SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal	Khasra number(s)	Area in hectare(s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1	4/2017	Baldhar-II	Baldhar	523, 524, 567, 574, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 619, 621, 622. Kitta . . 16	28-85-81	North : Baldhar South : Kargoli East : Katyana-I West : Baldhar	Balsan (Deha)	Theog	Shimla

By order,

SANJAY GUPTA ,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जून, 2020

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-5 / 2020.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	महाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं महाल/उप- महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	5/2017	टाली खोलना-तृतीय	टाली	1238, 1311, 1320, 1321, किता. . 4	20-65-87	उत्तर : टाली दक्षिण : टाणा, जनाहन पूर्व : डाबर पश्चिम : धारतरपूनु	बलसन (देहा)	ठियोग	शिमला

आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-5/2020, dated 4th June, 2020 as required under Article 348(3) of the constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th June, 2020

No. FFE-B-F(14)-5/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of section-29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal	Khasra number(s)	Area in hectare(s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1	5/2017	Tali Kholana-III	Tali	1238, 1311, 1320, 1321.	20-65-87	North : Tali South : Thana, Janahan East : Dabar West : Dhartarpoonu	Balsan (Deha)	Theog	Shimla
				Kitta . . 4					

By order,

SANJAY GUPTA ,
Additional Chief Secretary (Forests).

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT**NOTIFICATION***Shimla- 4, the 1st July, 2020*

No. VS/Estt./6-62/81-II.—The Hon'ble Speaker, H.P. Vidhan Sabha, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to promote and appoint Sh. Rakesh Thakur, Under Secretary as Deputy Secretary in the pay scale of ₹ 15600—39100+7600/- GP on regular basis with immediate effect.

2. He will be entitled to exercise option for pay fixation under instructions contained in Department of Finance, Govt. of H.P. Office memorandum No. Fin (PER)B(7)-1/2009, dated 19-09-2009 within a period of one month.

3. On promotion the above promotee will join his duties within 15 days from the date of issue of this notification failing which the promotion orders shall deemed to be withdrawn automatically. No specific orders with reference to withdrawal of promotions will be issued separately.

Sd/-

Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT**NOTIFICATION***Shimla- 4, the 1st July, 2020*

No. VS/Estt./6-62/81-II.—The Hon'ble Speaker, H.P. Vidhan Sabha, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to promote and appoint

Smt. Reeta Devi, Section Officer as Under Secretary in the pay scale of ₹ 15600—39100+6600/- GP on regular basis with immediate effect.

2. She will be entitled to exercise option for pay fixation under instructions contained in Department of Finance, Govt. of H.P. Office memorandum No. Fin (PER)B(7)-1/2009, dated 19-09-2009 within a period of one month.

3. On promotion the above promotee will join her duties within 15 days from the date of issue of this notification failing which the promotion orders shall deemed to be withdrawn automatically. No specific orders with reference to withdrawal of promotions will be issued separately.

Sd/-

Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla- 4, the 1st July, 2020

No. VS/Estt./6-62/81-II.—The Hon'ble Speaker, H.P. Vidhan Sabha, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to promote and appoint Sh. Manohar Lal, Superintendent Grade-II as Section Officer in the pay scale of ₹ 15600—39100+5400/- GP on regular basis *w.e.f.* 01-07-2020.

2. The above Officer will remain on probation for a period of two years reckoned from the date of issue of this notification.

3. He will be entitled to exercise option for pay fixation under instructions contained in Department of Finance, Govt. of H.P. Office memorandum No. Fin (PER)B(7)-1/2009, dated 19-09-2009 within a period of one month.

4. On promotion the above promotee will join his duties within 15 days from the date of issue of this notification failing which the promotion orders shall deemed to be withdrawn automatically. No specific orders with reference to withdrawal of promotions will be issued separately.

Sd/-

Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

**ब अदालत श्री सुभाष गौतम, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश**

सतपाल पुत्र सूबा राम, गांव खुलमी, डाकघर भाखड़ा, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता
2. प्रधान, ग्राम पंचायत भाखड़ा, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

विषय.—प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाखड़ा, के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री सतपाल ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाखड़ा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाखड़ा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जोकि इस प्रकार से है :—

नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
अमित कुमार	पुत्र	14-03-2001

अतः ग्राम पंचायत भाखड़ा, तहसील श्री नैना देवी जी की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 20-07-2020 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके प्रधान, ग्राम पंचायत भाखड़ा, तहसील श्री नैना देवी जी को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जाएगा।

आज तारीख 20-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

सुभाष गौतम (H.S.),
उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक),
श्री नैना देवी जी स्थित स्वारघाट, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं०
08 / 2020

तारीख रजुआ
20-06-2020

तारीख फैसला

Sh. Sunil Kumar s/o Late Sh. Pratap Singh, r/o Village & P.O. Duni, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता, ग्राम दुनी
2. प्रधान, ग्राम पंचायत दुनी, तहसील कल्या, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

विषय.—प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दुनी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Sunil Kumar s/o Late Sh. Pratap Singh ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 11-06-1979 को हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत दुनी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी उपरोक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दुनी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः आम जनता ग्राम पंचायत दुनी, तहसील कल्या, जिला किन्नौर को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Sunil Kumar s/o Late Sh. Pratap Singh का जन्म दिनांक 11-06-1979 को हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत दुनी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-07-2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सचिव, ग्राम पंचायत दुनी को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 20-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्या, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू,
जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 24/ME/T/2020

दिनांक : 20-06-2020

श्री दविन्द्र सिंह पुत्र श्री डेंगू राम, निवासी गांव रुजग, डाकघर भुट्टी, तहसील व जिला कुल्लू,
हि0 प्र0

श्रीमती रक्षा पुत्री श्री जीत राम, निवासी गांव जकडेहल, डाकघर दोघरी, तहसील व जिला कुल्लू,
हि0 प्र0 प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 06-06-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 20-02-2019 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान रुजग में शादी कर ली है

और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-07-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू,
जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं० : 25/ME/T/2020

दिनांक : 20-06-2020

श्री लाल चन्द पुत्र श्री चुहड़ू राम, गांव शऊगी, डाकघर कराडशू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री जीत राम, गांव जाणा, डाकघर अरछण्डी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0
प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 15-06-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-05-2019 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान शऊगी में शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगणों द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-07-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू,
जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 23/ME/T/2020

दिनांक : 20-06-2020

श्री रोशन लाल पुत्र श्री वाला राम, गांव दक्षाली, डाकघर बठाई, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्रीमती काकी देवी पुत्री श्री वेद राम, गांव दवाह, डाकघर जाओं, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू,
हि0 प्र0 प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 18-03-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 01-10-2018 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार दक्षाली में शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगणों द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-07-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री मित्रदेव मोहतल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू,
जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 22/ME/T/2020

दिनांक : 20-06-2020

श्री पवन कुमार पुत्र श्री भोले राम, निवासी गांव कोटाधार, डाकघर काडसू, तहसील व जिला कुल्लू,
हि0 प्र0।

श्रीमती गायत्री देवी पुत्री श्री टिकम राम, निवासी गांव छिका नाला, डाकघर पिपलआगे, तहसील
भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 प्रार्थीगण।

बनाम

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 12-03-2020 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-04-2018 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान कोटाधार में शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगणों द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 20-07-2020 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-06-2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

**In the Court of Sh. Anurag Chander Sharma, I.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

1. Janarjan Thapa s/o Sh. Bhimsen Thapa, resident of Village Jivanpur 06, Dhading, Bhagmati Nepal at present residing in c/o Ram Singh Thakur, V. P. O. Kasol, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu.

2. Mor Dahan d/o Sh. Avi Dahan, resident of Village Oranit, Hacarmel, 42-A, ZIP code 44813, Isriel

. . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 11 of Special Marriage Act, 1954.

Janarjan Thapa and Mor Dahan have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 11 of Special Marriage Act, 1954 that presently they are unmarried and they want to get their marriage registered under the Act *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this

court on or before 23-07-2020. The objection received after 23-07-2020 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 23-06-2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

ANURAG CHANDER SHARMA (IAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Kullu, District Kullu (H.P.).

In the Court of Sh. Raman Gharsanghi (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Chauhan Vishvesh Bhanukumar aged 28 years son of Sh. Bhanukumar, r/o House No. 6-4, Sangam Apartment, Jhodhpur, Ahmedabad, Taluka-Ahmedabad City, District Ahmedabad-380015 at present c/o Arjun Pal s/o Sh. Balak Ram, r/o Village and P.O. Jagatsukh, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.). and Olena Zhurenko aged 25 years d/o Sh. Pavel Zhurenko, r/o House No. 2A, flat No. 9, Preobrazhenskaya Street Odessa, Ukraine, Ukraine National Passport No. ER244671.

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Chauhan Vishvesh Bhanukumar aged 28 years son of Sh. Bhanukumar, r/o House No. 6-4, Sangam Apartment, Jhodhpur, Ahmedabad, Taluka-Ahmedabad City, District Ahmedabad-380015 at present c/o Arjun Pal s/o Sh. Balak Ram, r/o Village and P.O. Jagatsukh, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.). and Olena Zhurenko aged 25 years d/o Sh. Pavel Zhurenko, r/o House No. 2A, flat No. 9, Preobrazhenskaya Street Odessa, Ukraine, Ukraine National Passport No. ER244671. has presented an application on dated 24-06-2020 in this court for the registration of the marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 24-07-2020 at Manali to object registration of above marriage personally or through and authorized agent filling which this marriage will be register under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court 24th day of June, 2020.

Seal.

Sd/-
Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.

In the Court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Sh. Bodh Raj age 44 years s/o Sh. Hari Ram, r/o Ward No. 4, V.P.O. Haripur, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

and

Kathryn Louise Clough age 56 years d/o Ian David Clough, British Citizen Passport No. 535224835 at present residing c/o Jeet Ram r/o V.P.O. Haripur, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Bodh Raj age 44 years s/o Sh. Hari Ram, r/o Ward No. 4, V.P.O. Haripur, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

and

Kathryn Louise Clough age 56 years d/o Ian David Clough, British Citizen Passport No. 535224835 at present residing c/o Jeet Ram r/o V.P.O. Haripur, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.). has presented an application on dated 25-06-2020 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 25-07-2020 at to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 25th day of June, 2020.

Seal.

Sd/-
Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, H.P.

Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan, H. P.

Case No.
08/2020

Date of Institution
15-06-2020

Date of Decision
Pending for : 16-07-2020

Sh. Nikhil Kumar s/o Shri Taj Pratap, r/o Village Rampur, P.O. Bhumti, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh . .Applicant.

General Public

. .Respondent.

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Proclamation

Sh. Nikhil Kumar s/o Shri Taj Pratap, r/o Village Rampur, P.O. Bhumti, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that he born on 27-01-1984 at Village Rampur, P.O. Bhumti, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh but his has not been entered in the records of Gram Panchayat Bhumti, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh as per certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, GP Bhumti, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having objection for registration of delayed date of birth of Sh. Nikhil Kumar s/o Shri Taj Pratap may submit their objections in writing in this office on or before 16-07-2020 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 15th day of June, 2020.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Arki, District Solan, H. P.*